International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2022; 4(1): 201-203
Received: 04-03-2022
Accepted: 09-04-2022

डॉ0 संगीता सिंघल
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस0डी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 संगीता सिंघल
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस0डी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

भारत में जनसंख्या वृद्वि व खाद्य सुरक्षा

डॉ0 संगीता सिंघल

DOI: https://doi.org/10.22271/multi.2022.v4.i1c.166

प्रस्तावना

जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति आज एक विश्वव्यापी ज्वलन्त समस्या है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग करके आर्थिक विकास का संवर्द्वन करती है। इसलिए जनसंख्या को देश के लिए साधन एवं साध्य दोनों माना गया है परन्तु यदि जनसंख्या वृद्वि एक सीमा से अधिक हो जाती है तो विकास एवं जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। सन् 1830 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या केवल 1 अरब थी किन्तु अगले 100 वर्षों में अर्थात् सन् 1930 तक जनसंख्या दोगुनी हो गई। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पोप्यूलेशन प्रोस्पेक्टस 2015 के अनुसार वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7.3 अरब है जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 8.5 अरब हो जायेगी। इसी प्रकार सन् 1891 में भारत की कुल जनसंख्या 23. 6 करोड थी जो सन् 2011 को 121.02 करोड हो गई। जनगणना 2011 के आंकडों के अनुसार 2010–11 के दशक में देश में कुल जनसंख्या 18.196 करोड (17.7 प्रतिशत) की वृद्वि हुई। इससे पूर्व 1991–2001 के दशक में जनसंख्या में वृद्वि 21.54 प्रतिशत रही थी। अतः आज विश्व जनसंख्या निरन्तर गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्व जनांकिकी वेत्ता माल्थस के विचार सत्य सिद्ध हो रही है। उनका कथन था कि खाद्य सामग्री में वृद्वि सदैव अंकगणितीय क्रम 1,2,3,4, ... में होती है तथा जनसंख्या वृद्वि ज्यामितीय क्रम 2,4,6,8,16,32,......... में बढ़ती है। बढती आबादी ने आज देश, सरकार तथा प्रशासन के सम्मुख गम्भीर चुनौतियां प्रस्तुत कर दी है कि इस विशाल जनसंख्या के लिए रोटी, कपडा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार व शिक्षा आदि कैसे उपलब्ध कराया जाये। जनसंख्या वृद्वि ने हमारे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पक्षों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश के संसाधनों जैसे खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग में भारी बढोत्तरी हुई है परन्तु मांग के अनुरूप संसाधनों का न बढ़ पाना एक गम्भीर समस्या बन गई है। प्रकृतिजन्य और मानव निर्मित जो घटनाएं पनप रही है उनमें अकाल, बाढ़, भूकम्प, ओलावृष्टि, जलवायु परिवर्तन आदि है। इन सबका असर आज खाद्य उपलब्धता पर पड़ रहा है तथा जनसंख्या वृद्वि तथा खाद्यान्न उत्पादन में ठहराव तथा बढ़ती खाद्य स्फीति के चलते भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ी चुनौती के रूप में सामने आ गई है।

खाद्य सुरक्षा से हमारा तात्पर्य है सभी लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए भोजन का अभाव न होने देना तथा लोगों के पास इन खाद्यान्नों को खरीदने की क्षमता का होना। विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report 1986) ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा ''सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि के रूप में की है।'' इसी प्रकार खाद्य एवं कृषि संस्था (Food and Agriculture Organization 1983) ने खाद्य सुरक्षा को सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि के आश्वासन के रूप में परिभाषित किया है। अतः खाद्य सुरक्षा के लिए किसी देश की समग्र जनसंख्या को खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है तथा सभी को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो ताकि वे अपनी जरूरत के लिए खाद्य पदार्थ हासिल कर सकें। अतः खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि किसी राष्ट्र में खाद्य–संभरण ;थ्ववक ॅनचचसलद्ध की इतनी वृद्वि दर आश्वस्त करनी होगी कि इससे न केवल जनसंख्या की वृद्वि का ध्यान रखा जा सकें बल्कि इसके साथ–साथ लोगों की आय में वृद्वि के परिणामस्वरूप खाद्य की मांग में वृद्वि की भी पूर्ति की जा सकें।

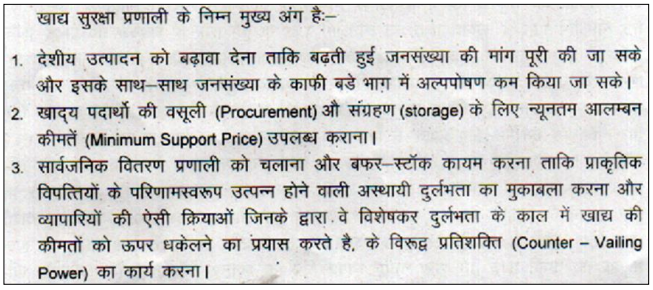

खाद्य सुरक्षा प्रणाली के निम्न मुख्य अंग है:-

1. देशीय उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूरी की जा सके और इसके साथ–साथ जनसंख्या के काफी बडे भाग में अल्पपोषण कम किया जा सके।
2. खाद्य पदार्थो की वसूली (Procurement) औ संग्रहण (storage) के लिए न्यूनतम आलम्बन कीमतें (Minimum Support Price) उपलब्ध कराना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाना और बफर–स्टॉक कायम करना ताकि प्राकृतिक विपत्तियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अस्थायी दुर्लभता का मुकाबला करना और व्यापारियों की ऐसी क्रियाओं जिनके द्वारा वे विशेषकर दुर्लभता के काल में खाद्य की कीमतों को ऊपर धकेलने का प्रयास करते है, के विरूद्व प्रतिशक्ति (Counter – Vailing Power) का कार्य करना।

अतः खाद्य सुरक्षा अब आर्थिक और सामाजिक रूप से सन्तुलित आहार प्राप्त कर सकने, पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरण और प्रारम्भिक स्वास्थ्य चर्चा के रूप में परिभाषित की जाती है। कृषि वैज्ञानिक, प्रो0. एम0एस0 स्वामीनाथन ने ''ग्रामीण भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति'' नामक रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा के तीन तत्व बताए – पहला खाद्य उपलब्धता जोकि खाद्य उत्पादन और आयात पर निर्भर करता है। दूसरा खाद्य पहुँच जोकि लोगों की क्रयशक्ति पर निर्भर करती है। तीसरा खाद्य अवशोषण जो सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर निर्भर करता है'' जनसंख्या व आय में वृद्वि होने से एक तरफ खाद्यान्नों की मांग तीव्र गति से बढ़ती है तो दूसरी तरफ खाद्यान्नों की पूर्ति में अपेक्षित वृद्वि नही होने से खाद्यान्नों की मांग व पूर्ति में अंतराल निरन्तर बढता जाता है परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्वि से खाद्यान्न गरीब लोगों की पहुँच से बाहर होता जाता है।

अतः यह आवश्यक है कि देश की जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम खाद्यान्नों की भौतिक उपलब्धता को बढाया जाये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने अनेक योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों जैसे भूमि सुधार कार्यक्रमों, हरित क्रान्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किये। आज भारत विकास के पथ पर अग्रसर है लेकिन सभी व्यक्तियों को यदि भोजन न मिले तो इससे विकास की महत्ता कम हो जाती है। मानव जाति की सबसे बड़ी जरूरत है भोजन, यही कारण है कि बढ़ती जनसंख्या वृद्वि व खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।

स्वतन्त्रता के बाद दो वर्षों में खाद्यान्नों की अत्याधिक कमी के कारण सरकार की खाद्य नीति का उद्देश्य खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म–निर्भरता प्राप्त करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन में (गेहूँ व चावल में) तेज वृद्वि हुई हैं। इससे अर्थव्यवस्था खाद्यान्नों की समग्र कमी की समस्या का सामना करने में सफल हो सकी है। प्रो0. आर0 राधाकृष्ण के अनुसार भारत 1970 के दशक में ही खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति पा चुका था तथा इस स्थिति को लगातार बनाए रखने में सफल रहा हैं। सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में, भारतीय खाद्य निगम की मदद से, खाद्यान्नों के भंडार जमा किए है और इन भण्डारों में से लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। 1 जनवरी, 2012 को सरकार के पास गेहूँ के 25.7 मिलियन टन तथा चावल के 29.7 मिलियन टन भंडार थे। इस प्रकार इन दोनों खाद्यान्नों के कुल भंडार 55.4 मिलियन टन पहुँच गये, ये स्टॉक न्यूनतम मानदंडों की तुलना में बहुत अधिक है यद्यपि खाद्यान्नों के विपुल भंडारों के कारण स्थिति संतोषजनक दिखाई देती है लेकिन विश्लेषकों के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बढ़ते हुए आय स्तरों के कारण, गेहूँ के उपभोग, आने वाले वर्षों में काफी वृद्वि अपेक्षित है लेकिन गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाए कम नजर आ रही हैं क्योंकि न तो गेहूँ अधीन क्षेत्र में वृद्वि होना संभव लग रहा है। (पृष्ठ संख्या– 359) खाद्यान्न उत्पादन में चावल तथा गेहूँ का भाग जो 1950–51 में 53 प्रतिशत था बढ़कर 2012 में 77.7 प्रतिशत हो गया था लेकिन इन दो अनाजो के विरूद्व मोटे अनाजों का भाग 1950–51 में 30 प्रतिशत था कम होकर केवल 18 प्रतिशत हो गया। अतः स्पष्ट है कि कमजोर वर्गों द्वारा मोटे अनाजों का प्रतिस्थापन चावल और गेहूँ द्वारा किया जा रहा है खाद्यान्न उत्पादन के विभिन्न अंगों से संकेत मिलता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन विशेषकर अनाजों का बराबर बढ़ता चला जा रहा है तथा अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि जो 1950–51 के दौरान 334 ग्राम प्रतिदिन थी बढ़कर 2011–12 में 424 ग्राम हो गयी किन्तु दालों के संदर्भ में प्रति व्यक्ति उपलब्धि जो 1950–51 के दौरान 61 ग्राम प्रतिदिन थी गिरकर 2011–12 के दौरान 39.4 ग्राम हो गयी। (पृष्ठ संख्या– 539 से 540) अतः स्पष्ट है कि भारत खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ता हुआ अनाजों के रूप में तो सफल हुआ है किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या की दालों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में बुरी तरह विफल हुआ है। सरकार के द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई तथा यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि देश की पहली प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा प्रणाली को विकसित करना है ताकि देश से अकाल का खतरा समाप्त किया जा सकें। इसी क्रम में सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की जिसका मूलभूत उद्देश्य गेहूँ, चावल व दलहन की उत्पादकता में वृद्वि करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 4,882.48 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत गेहूँ, चावल व दालों की उत्पादकता में वृद्वि हुई, दलहन उत्पादन के प्रति किसानों का रूझान बढ़ा। खाद्य सुरक्षा के द्वितीय तत्त्व के अनुसार, खाद्यान्नों की उपलब्धता व्यक्तियों की क्रय शक्ति पर निर्भर है इस दृष्टिकोण से देश में खाद्यों तक गरीब वर्गों की पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से सुरक्षा प्रदान करते हुए न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर की व्यवस्था को संचालित किया गया। वर्ष 1997 में इस प्रणाली को संशोधित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने गरीब वर्ग को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु बी0पी0एल0 कार्ड जारी करके कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के दिशा में प्रयास करना है। इस प्रणाली के तहत वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा योजना प्रारम्भ की गई। इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक करोड़ निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 25 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती दरों पर प्रदान करने का प्रावधान रखा गया तथा सरकार द्वारा निर्धन व बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवाने की बात कहीं गई। अतः विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

भारत में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश 5 जुलाई, 2013 को जारी किया गया है। इस कानून के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्य पदार्थ सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसकी परिधि में 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को लाया जायेगा। लाभार्थियों को प्रतिमास 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न सहायता प्राप्त कीमतों पर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इसी प्रकार अंत्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले गृहस्थ उक्त स्कीम के तहत राज्य से विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रतिमास 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर पायेंगे। गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात छह माह के दौरान गर्भवती स्त्री आंगनबाडी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्राप्त कर पाएगी और न्यूनतम 6,500 रू0. प्रसूति लाभ भी उन्हें मिलेगा। छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी आंगनबाडी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्राप्त होगा। यदि

हकदार व्यक्ति को सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता भी प्राप्त होगा और खाद्य सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप में गरीब वर्ग तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि गरीबी रेखा के निर्धारण व गरीबी के सही आंकडों की उपलब्धता विश्वसनीय स्तर पर सुनिश्चित की जा सके।

Sofi (State of Food Security and Nutrition In The World) संयुक्त राष्ट्र के ''विश्व खाद्य सुरक्षा और पौषण स्थिति रिपोर्ट'' Sofi में प्रस्तुत आंकडो के अनुसार, भारत में वर्ष 2018 से वर्ष 2020 की अवधि के बीच मध्य से गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता में लगभग 6.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई हैं। समग्र तौर पर कोविड के प्रकोप के बाद से मध्यम में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगभग 9. 7 करोड की वृद्धि हुई हैं। भारत, जो विश्व में खाद्यान्न के सबसे बडे भण्डार वाला देश हैं। (1 जुलाई 2021 तक 120 मिलियन टन) में विश्व की खाद्य असुरक्षित आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा मौजूद हैं। वर्तमान में, प्रमुख खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी भारत में बढती जनसंख्या, उच्च बैरोजगारी की दर, असमानता की उच्च स्थिति के कारण भूख और खाद्य असुरक्षा की गंभीर समस्याँऐ पर विचार करना आवश्यक हो गया हैं। PMSFI (Prevalence of Moderate and severe food in Security) के अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2019 में भारत में लगभग 43 करोड मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षित लोग थें, जिनकी संख्या महामारी संबंधी व्यवधानों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 में बढकर 52 करोड हो गई हैं, तथा खाद्य असुरक्षा वर्ष 2019 में लगभग 31.6 प्रतिशत से 2021 में 38.4 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं।

निष्कर्षः–

भोजन का अधिकार (Right to Food) न केवल एक वैधानिक अधिकार हैं बल्कि एक मानव अधिकार भी हैं। UDHR (Universal Declaration of Human Rights) के अनुसार भारत का दायित्व है कि वे अपने सभी नागरिकों के लिए भूख से मुक्ति के अधिकार और प्र्याप्त भोजन के अधिकार को सुनश्चित करें।

अतः सरकार को देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की नियामित निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि विकास, कृषिगत उत्पादक्ता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व नीतियों का प्रभारी व सफल कृियान्वयन सुनश्चित करना भी आवश्यक हैं एवं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार क्रियान्वयन की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

संदर्भ–

1. दत्त एवं सुन्दरम– पृष्ठ संख्या– 539–540
2. मिश्र एवं पुरी– पृष्ठ संख्या– 359
3. ममोरिया एवं जैन
4. योजना 2010
5. www.hindilibraryindia.com
6. www.drishtiias.com